

Bill No. 17 of 2010

THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES
(AMENDMENT) BILL, 2010

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Bill No. 17 of 2010

**THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES (AMENDMENT)
BILL, 2010**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A
Bill*

further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- In section 3 of the Rajasthan Minister's Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956), hereinafter referred to as the principal Act,-

- (i) for the existing expression "the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Second Amendment) Act, 2005 (Act No. 12 of 2005)", the expression "1st April, 2010" shall be substituted;
- (ii) in clause (a), for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "twenty five thousand rupees" shall be substituted;
- (iii) in clause (b), for the existing expression "seventeen thousand rupees", the expression "twenty two thousand rupees" shall be substituted; and
- (iv) in clause (c), for the existing expression "fifteen thousand rupees", the expression "twenty thousand rupees" shall be substituted.

3. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- In section 4 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1),-

- (a) for the existing expression "the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 2006 (Act No. 9 of 2006)", the expression "1st April, 2010" shall be substituted; and
- (b) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "twenty five thousand rupees" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2),-

- (a) for the existing expression "the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 2006 (Act No. 9 of 2006)", the expression "1st April, 2010" shall be substituted; and
- (b) for the existing expression "fourteen thousand rupees", the expression "twenty thousand rupees" shall be substituted;

(iii) in sub-section (3),-

- (a) for the existing expression "the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 2006 (Act No. 9 of 2006)", the expression "1st April, 2010" shall be substituted; and
- (b) for the existing expression "fourteen thousand rupees", the expression "twenty thousand rupees" shall be substituted.

4. Amendment of section 7B, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- In section 7B of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

- (a) for the existing expression "the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Second Amendment) Act, 2005 (Act No. 12 of 2005)", the expression "1st April, 2010" shall be substituted; and
- (b) for the existing expression "fifteen thousand rupees", the expression "twenty thousand rupees" shall be substituted.

(ii) in sub-section (3),-

- (a) for the existing expression "the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Second Amendment) Act, 2005 (Act No. 12 of 2005)", the expression "1st April, 2010" shall be substituted; and
- (b) for the existing expression "ten thousand rupees", the expression "twenty thousand rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Looking to the present level of price, the existing salary and sumptuary allowance payable to the Chief Minister, Ministers, Ministers of State and Parliamentary Secretaries appeared to be inadequate. Under these circumstances, it has been considered expedient to increase the salary and sumptuary allowance payable to Chief Minister, Ministers, Ministers of State and Parliamentary Secretaries, and, therefore, necessary amendment in sections 3, 4 and 7B of the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956) have been respectively proposed vide clauses 2, 3 and 4 of the Bill.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शांति धारीवाल,
Minister Incharge.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2, 3 and 4 of the Bill seek to increase the salary and sumptuary allowances of the Chief Minister, Ministers, Ministers of State and Parliamentary Secretaries. The expenditure owing to the proposed increase is estimated to involve a recurring expenditure of about Rs. 44,76,000/- per annum.

शांति धारीवाल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE MINISTERS' SALARIES ACT, 1956
(Act No. 43 of 1956)

XX XX XX XX

3. Salaries of Ministers.- There shall be paid with effect from the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment)Act, 1991 (Rajasthan Act No. 9 of 1991) or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later,-

- (a) a salary of twenty thousand rupees per mensem to the Chief Minister;
- (b) a salary of seventeen thousand rupees per mensem to a Minister other than a Minister of State and a Deputy Minister;
- (b b) XX XX XX XX
- (c) A salary of fifteen thousand rupees per mensem to a Minister of State; and
- (d) XX XX XX XX

4. Sumptuary allowance.- (1) In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid to the Chief Minister, with effect from the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 2006 (Act No. 9 of 2006) or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, a sumptuary allowance of twenty thousand rupees per mensem;

(2) In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid, with effect from the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 2006 (Act No. 9 of 2006) or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, to every Minister other than the Chief Minister, a Minister of State and a Deputy Minister, a sumptuary allowance of fourteen thousand rupees per mensem;

(3) In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid, with effect from the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 2006 (Act No. 9 of 2006) or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office to every minister of State, a sumptuary allowance of fourteen thousand rupees per mensem; and

(4) XX XX XX XX

7B Salaries, allowances and amenities to Parliamentary Secretaries.- (1) With effect from "the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Second Amendment) Act,2005 (Rajasthan Act No. 12 of 2005) or the date on which he may thereafter enter upon his office, there shall be paid to a Parliamentary Secretary a salary of fifteen thousand rupees per mensem and such travelling and other allowances as may be prescribed.

(2) XX XX XX XX

(3) In addition to the salary and other allowances payable under sub-section (1), there shall be paid to every Parliamentary Secretary, with effect from the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Second Amendment) Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) or with effect from the date he may thereafter enter upon his office, a sumptuary allowance of ten thousand rupees per mensem

XX
XX

XX

XX

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill

further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H.R.KURI,
Secretary.

(SHANTI DHARIWAL, **Minister Incharge**)

2010 का विधेयक संख्या-17

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसा कि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

(अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2010 का विधेयक संख्या-17

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2010 (जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरास्थापित किया जायेगा)

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 को और अधिक संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इक्सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 3 का संशोधन—राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43) जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,—

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 12) के प्रारंभ की तारीख” के स्थान पर अभिव्यक्ति “1 अप्रैल, 2010” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति “बीस हजार रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “पच्चीस हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति “सत्रह हजार रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “बाईस हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति “पन्द्रह हजार रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “बीस हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 4 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(i) उप-धारा (1) में,—

- (क) विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 9) के प्रारंभ की तारीख” के स्थान पर अभिव्यक्ति “1 अप्रैल, 2010” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति “बीस हजार रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “पच्चीस हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) में,—

- (क) विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 9) के प्रारंभ की तारीख” के स्थान पर अभिव्यक्ति “1 अप्रैल, 2010” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति “चौदह हजार रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “बीस हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (3) में,—

- (क) विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 9) के प्रारंभ की तारीख” के स्थान पर अभिव्यक्ति “1 अप्रैल, 2010” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति “चौदह हजार रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “बीस हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 7-ख का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 7-ख में,—

(i) उप-धारा (1) में,—

- (क) विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 12) के प्रारंभ की तारीख” के स्थान पर अभिव्यक्ति “1 अप्रैल, 2010” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति “पन्द्रह हजार रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “बीस हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप-धारा (3) में,—

- (क) विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 12) के प्रारंभ की तारीख” के स्थान पर अभिव्यक्ति “1 अप्रैल, 2010” प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति ‘दस हजार रुपये’ के स्थान पर अभिव्यक्ति ‘बीस हजार रुपये’ प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कीमतों के वर्तमान स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों को संदेय विद्यमान वेतन और सत्कार भत्ता अपर्याप्त प्रतीत हो रहा था। इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों को संदेय विद्यमान वेतन और सत्कार भत्ते में वृद्धि करना समीचीन समझा गया है और इसलिए राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43) की धारा 3, 4 और 7-ख में आवश्यक संशोधन इस विधेयक के क्रमशः खण्ड 2, 3 और 4 द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईस्पित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

शांति धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2, 3 और 4 मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों के वेतन और सत्कार भत्तों में वृद्धि करने के लिए ईस्पित हैं। प्रस्तावित वृद्धि के कारण व्यय में लगभग 44,76,000/-रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होना अनुमानित है।

शांति धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43)
से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

3. मंत्रियों के वेतन.— राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का राजस्थान अधिनियम सं. 12) के प्रारंभ की तारीख से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, जो भी बाद में हो,—

- (क) बीस हजार रुपये प्रति मास का वेतन मुख्यमंत्री को,
- (ख) सत्रह हजार रुपये प्रति मास का वेतन राज्य मंत्री और उप-मंत्री से भिन्न मंत्री को,

(खख) XX XX XX

(ग) पन्द्रह हजार रुपये प्रति मास का वेतन राज्य मंत्री को, और

(घ) XX XX XX

संदत्त किया जायेगा।

4. सत्कार भत्ता.— (1) धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के अतिरिक्त, राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम 2006 (2006 का अधिनियम सं. 9) के प्रारंभ की तारीख से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, मुख्यमंत्री को बीस हजार रुपये प्रतिमास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

(2) धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के अतिरिक्त, राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम 2006 (2006 का अधिनियम सं. 9) के प्रारंभ की तारीख से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, मुख्यमंत्री, किसी राज्य मंत्री और किसी उप-मंत्री से भिन्न प्रत्येक मंत्री को चौदह हजार रुपये प्रतिमास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

(3) धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के अतिरिक्त, राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम 2006 (2006 का अधिनियम सं. 9) के प्रारंभ की तारीख से या उस तारीख से, जिसको वह उसके पश्चात् अपना पदग्रहण करे प्रत्येक राज्यमंत्री को चौदह हजार रुपये प्रतिमास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

(4)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

7-ख. संसदीय सचिवों को वेतन, भत्ते तथा सुख-सुविधाएं.— (1) संसदीय सचिव को राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2005 (2005 का राजस्थान अधिनियम सं. 12) के प्रारंभ की तारीख से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, पन्द्रह हजार रुपये प्रतिमास वेतन और ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते संदत्त किये जायेंगे जो विहित किए जाएं।

(2)	XX	XX	XX
(3)	प्रत्येक संसदीय सचिव को उप-धारा (1) के अधीन संदेय वेतन और अन्य भत्तों के अतिरिक्त राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 12) के प्रारंभ की तारीख से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, दस हजार रुपये प्रतिमास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।		
XX	XX	XX	XX

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।

(जैसा कि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुड़ी,
सचिव ।

(शांति धारीवाल – प्रभारी मंत्री)